



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-692/MRLY/18/2022-SSW

दिनांक: 02.05.2023

सेवा में,

श्री अंशुल गुप्ता
महाप्रबंधक
पूर्वोत्तर सीमांत रेल्वे
मालीगांव शटल गेट रोड
पूर्व मालीगांव, गुवाहाटी - 781011 (असम)
फोन - 0361-2676000

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में - श्री नमोनारायण मीणा स्वास्थ्य निरीक्षक (पूर्वोत्तर सीमा रेल्वे, बगाईगांव) (निवासी - पूनेता, तहसील - बौली, जिला - सवाई माधोपुर, राजस्थान) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: रा.अनु.जन.जा.आ. के सम संख्यक नोटिस दिनांक 13.12.2022

उपरोक्त विषय पर आयोग ने सम संख्यक नोटिस दिनांक 13.12.2022 के द्वारा प्रकरण में नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर सूचना प्रस्तुत करने का आग्रह किया था, परंतु प्रकरण में तथ्य तथा आख्या एवं मामलों पर की गई कार्रवाई की सूचना अप्रप्त है। आवेदक ने आर.टी.आई के अभ्यावेदन संख्या NCST/R/E/23/00057 दिनांक 14.04.2023 के द्वारा, एन.सी.एस.टी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की सूचना मांगी है प्रति संलग्न है।

अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

(Ph No. 011-24641640)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री नमोनारायण मीणा,
B 2 D Railway Colony,
North Lakhimpur-787001,
(Assam)
((Mob No- 7002483530))
(Email- namomeena039@gmail.com)

(कृपया एन.सी.एस.टी के सम संख्यक नोटिस दिनांक 13.12.2022 जिसकी प्रति आपको भेजी गई थी का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपसे अभ्यावेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियों को उपलब्ध कराने को कहा गया था। दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः आपके अभ्यावेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां आयोग में प्रस्तुत करें।)

2. NIC, NCST (please upload on the website)